

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर  
विद्या देवी पत्नी रूपाराम आदि बनाम उप चिकित्सा अधिकारी आदि  
किस्म मुकदमा- निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम  
प्रकरण संख्या- 42/2023 जीसीएमएस प्र0स0- 2023/42

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
24.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील निगरानीकर्ता ने वकील निगरानीकर्ता ने फार्म न. 3 के साथ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में जैरकार प्रकरण संख्या एसबी सिविल रिट पेटिशन संख्या 14659/2023 अनवान विद्यादेवी आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 की प्रति पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.12.2023 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। चूंकि जब मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो हस्तगत पत्रावली में किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं समझते हैं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर बन्द की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">(कनैसा लाला कोलवाडर) अतिरिक्त जिला कलक्टर अतिरिक्त जिला श्री गंगानगर सूरतगढ</p>	

